## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 134/2011

**उनवान**

1 श्रीकिशन पुत्र हरजी (मृतक जरियें वारिसान)
1/1. बदाम पत्नी श्रीकिशन
1/2. काली देवी पत्नी सुखपाल
1/3. अरूण पुत्र सुखपाल
1/4. किरण पुत्री सुखपाल
1/5. ब्रजपाल पुत्र श्रीकिशन
1/6. महेन्द्रपाल पुत्र श्रीकिशन समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

**बनाम**

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

---

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22/3/22

प्त्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशो के साथ प्राप्त हुयी है कि वादी को अपने पक्ष मे रिकार्ड एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये बाद साक्ष्य, सुनवाई कर तनकियात कायम कर पुनः निर्णय पारित करे। वाद के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के वंर्किग खसरा नम्बर 3528 रकबा 8–17–0, 3529 रकबा 1–15–0 के हाल खसरा नम्बर 3891 रकबा 1.61 व 3890 रकबा 0.28 है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर तत्समय की जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज थी। तथा वादी उक्त आराजी पर कदीम से काबिज काश्त चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। रकबा 6–11–0 वादीगण को नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश की पालना नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 28.02.02 से वंर्किग जमाबंदी में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 371 रकबा 1.06 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर 371 रकबा 1.06 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे व वादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पावंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 558 में खसरा नम्बर 3528 रकबा 8–17–0, 3529 रकबा 1–15–0 श्रीकिशन पुत्र हरजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:22 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 3891 रकबा 1.61 व 3890 रकबा 0.28 सिवायचक दर्ज है। राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वादी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज होने से वाद खारिज योग्य है। मे खसरा नम्बर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज थी ?
-- वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
-- वादी

3. अनुतोष ?

वाद विचारण के दौरान वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की पृष्ठ संख्या 1 में सहवन से खसरा नम्बर 3529 के स्थान पर 3829 दर्ज हो गयी है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में ब्रजपाल के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख पेश किये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

**तनकी संख्या 1 :-**

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम नान्दला के वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 558 में वंर्किग खसरा नम्बर 3528 रकबा 8–17–0 व 3529 रकबा 1–15–0 की आराजी वादी के नाम दर्ज थी। उक्त वंर्किग जमाबंदी तत्समय प्रचलित थी। आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर बाबत एक प्रमाणित सूची (आवंटनशुदा भूमि गैर खातेदारी देनी जिसको 10 वर्ष से अधिक हो चुके है) भी वादी द्वारा पेश की गयी है जिसमें कम संख्या 635 में वादी के नाम उक्त दोनो खसरा नम्बर दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज थी। प्रकरण में पूर्व में हाजा न्यायालय के आदेश से मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी थी। उक्त मौका रिपोर्ट में भी उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किये है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 2 :-**

वंर्किग खसरा नम्बर 3528 रकबा 8–17–0 व 3529 रकबा 1–15–0 की आराजी वादी के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी के हाल खसरा [illegible] रकबा 1.61 व 3890 रकबा 0.28 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक [illegible] है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। आराजी मुतनाजा वादी के नाम पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तथा कब्जा भी वादी का [illegible] ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:22 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला की आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 3890 रकबा 0.28 व 3891 रकबा 1.61 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3890 रकबा 0.28 व 3891 रकबा 1.42 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22/3/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:22 IST
Reason: SelfAttested

## श्रीकिशन बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 134 / 2011
पेश करने की दिनांक – 21.02.2019(रिमाण्ड)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुददई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला की आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 3890 रकबा 0.28 व 3891 रकबा 1.61 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 3890 रकबा 0.28 व 3891 मिन रकबा 1.42 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज २२ माह मार्च सन् **2022** को जारी की गयी।

---

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | स्टाम्प वकालतनामा |
| स्टाम्प वकालतनामा | स्टाम्प अरजी |
| स्टाम्प वजह सबूत | मेहनताना वकील |
| मेहनताना वकील | खर्चा गवाहान |
| फीस कमिश्नर | फीस कमिश्नर |
| खर्चा गवाहान | बाबत् इजराय हुक्मनामा |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | मुतफरिक |
| मुतफरिक | |
| मिजान | मिजान |

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:22 IST
Reason: SelfAttested